न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— गजेन्द्र सिंह राठौड़, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—183/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/183)

1. सत्यनारायण पुत्र मदनलाल
2. श्योजीराम पुत्र मदनलाल

दोनों जाति ढोली (बारेठ) निवासी ग्राम कुरथल तहसील भिनाय जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. दुर्गालाल पुत्र मदनलाल
2. कालूराम पुत्र मदनलाल

दोनों जाति ढोली (बारेठ) निवासी ग्राम कुरथल तहसील भिनाय जिला अजमेर।

3. श्रीमती कोशल्या पुत्री मदनलाल पत्नी गोविन्द सिंह जाति जाति ढोली (बारेठ) निवासी ग्राम कुरथल हाल तारपुर सीकर।
4. श्रीमती चंदा पुत्री मदनलाल पत्नी प्रहलाद राणा जाति ढोली (बारेठ) निवासी ग्राम कुरथल हाल निवासी तारपुर, सीकर।
5. श्रीमती तारा पुत्री मदनलाल पत्नी जगदीश जाति ढोली (बारेठ) निवासी ग्राम कुरथल हाल निवासी शास्त्री नगर जयपुर।
6. श्रीमती सप्यार पुत्री मदनलाल जाति ढोली (बारेठ) निवासी ग्राम कुरथल तहसील भिनाय, जिला अजमेर।
7. श्रीमती धन्नीदेवी पत्नि जगदीश कुमावत
8. रामराज कुमावत पुत्र घीसालाल कुमावत

दोनों निवासी ग्राम कुरथल, तहसील भिनाय, जिला अजमेर।

9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार भिनाय जिला अजमेर।
10. राजस्थान सरकार जरिए जिलाधीश जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 21.04.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला अजमेर राजस्व वाद संख्या 2021/25

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मदनलाल गुर्जर, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8
3. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 09 व 10

25.1.2024

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

निर्णय

दिनांकः—25.01.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 25/2021 में पारित आदेश दिनांक 21.04.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 92ए एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया एवं साथ ही धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया। उपरोक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.7.2021 को दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर रेस्पोडेंटस के नाम नोटिस जारी किए गए एवं अपीलांटस के पक्ष में राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तत्पश्चात रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 8 की ओर से जवाब पेश कर अपीलांटस की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किए जाने का निवेदन किया। तत्पश्चात दोनों पक्षों की बहस सुनकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने का आदेश दिनांक 21.4.2022 को पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 25/2021 में पारित आदेश दिनांक 21.04.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया। उपखण्ड अधिकारी भिनाय के समक्ष नियुक्त अभिभाषक ने प्रार्थीगण को यह हिदायत दे रखी थी कि उन्हें प्रत्येक पेशी पर न्यायालय आने की कोई आवश्यकता नहीं है जब भी प्रार्थीगण की आवश्यकता होगी तो सूचित कर दिया जावेगा किंतु उन्होंने प्रार्थीगण को प्रकरण में निर्णय होने की सूचना नहीं दी गई व दिनांक 21.6.2022 को प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रकरण की जानकारी करने बाबत अपने अभिभाषक से सम्पर्क किया तो उनके द्वारा प्रकरण में दिनांक 21.4.2022 को ही निर्णय होना जाहिर किया गया जिस पर दिनांक 22.6.2022 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तुरंत निर्णय की प्रति उसी दिन दिनांक 22.6.2022 को प्राप्त कर अविलंब अपील न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है। जिसमें हुई देरी में प्रार्थीगण की कोई गलती नहीं है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को क्षमा किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, भिनाय ने इस महत्वपूर्ण बिंदु की ओर ध्यान नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

दिया कि धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र में तीनों घटक प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिंदु को देखा जाना न्यायहित में अनिवार्य था। इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी भिनाय ने सरसरी तौर पर सुविधा का संतुलन अपीलांटस के पक्ष में निहित नहीं होना कहते हुए बिना प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूर्णीय क्षति के बिंदु को निस्तारित किए बिना अपीलांटस की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने में अनियमितत कारित की है। विवादित आराजी मुतनाजा पर बरवक्त आवंटन से अपीलांटस निरंतर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं एवं आज दिनांक को भी अपीलांटस विवादित आराजी मुतनाजा पर काबिज हैं। इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी भिनाय ने अपने में निहित क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निहित पारित किया है जो कि प्रथम अपील के माध्यम से काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। विवादित आराजी मुतनाजा अपीलांटस को आवंटन हुई थी वं भू प्रबंध विभाग द्वारा पर्चा लगान सेटलमेंट मे ही मदनलाल पुत्र कल्याणमल कौम बारेठ साकिनदेह खातेदार के नाम भूमि दर्ज थी इसके बावजूद भी भू प्रबंध अधिकारी ने बिना किसी आधार के सरसरी तौर पर बिना किसी सक्षम आदेश के भूमि को रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 के नाम दर्ज करने में गंभीर विधिक त्रुटि कारित की है। उपखण्ड अधिकारी भिनाय के समक्ष खातेदारी उदघोषणा का वाद आज दिनांक को भी विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी मुतनाजा को सुरक्षित किया जाना आवश्यक था इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी, भिनाय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाते हुए विपक्षीगण को आराजी मुतनाजा को बेचान करने एवं अन्यत्र रहन बय मुंतकिल करने की छूट प्रदान करने का निर्णय प्रदान किया है जो कि अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलांटस अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते है ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंटस संख्या 7 व 8 को किया गया बेचान भी धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत वोईड है इसके बावजूद भी उपरोक्त बिंदु को नजरअंदाज किया गया व निर्णय प्रदान किया गया है वह काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। विवादित आराजी मुतनाजा पर अपीलांटस काबिज काश्त चले आ रहे है इसके बावजूद भी रेस्पोडेंटस मौके पर कब्जा करने की नियत से ट्रेक्टर लेकर आए जिस पर अपीलांटस द्वारा थानाधिकारी भिनाय के समक्ष रेस्पोडेंटस के विरूद्ध फौजदारी प्रकरण दर्ज करवाया जिसमें थानाधिकारी भिनाय द्वारा प्रकरण में दिनांक 24.10.2021 को कब्जा काश्त अपीलांटस का होना मानते हुए रेस्पोडेंटस के विरूद्ध प्रकरण संख्या 323/2021 धारा 323, 341, 504, 447, 354/34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत चालान रेस्पोडेंटस के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। जिसमें कब्जा काश्त अपीलांटस का बखूबी साबित हुआ है इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी, भिनाय ने उपरोक्त तथ्यों के विपरीत जाकर अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सरसरी तैर पर बिना किसी फाईण्डिग के निरस्त करने में त्रुटि कारित की है जो अपील के माध्यम से काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 25/2021 में पारित आदेश दिनांक 21.04.2022 को निरस्त किया जाकर रेस्पोडेंट को ताफैसला वांद पाबंद किया जावे वादग्रस्त आराजी के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने एवं उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

आराजी को रहन, बय, मुंतकिल नहीं करने हेतु पाबंद किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र झूठे एवं गलत तथ्यों पर आधारित है। प्रश्नगत आराजी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के पिता मदनलाल पुत्र कल्याण के नाम बतौर खातेदारी दर्ज थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 ही स्व0 मदनलाल पुत्र कल्याण के विधिक वारिसान है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भी बतौर विरासत के अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण के पिता एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 के पिता का नाम समान होने के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के दादाजी का नाम समान नहीं है। प्रार्थीगण का प्रश्नगत आराजी से किसी भी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 प्रश्नगत आराजी के वास्तविक स्वामी होने के कारण स्वयं के विधिक अधिकारों का उपयोग करते हुए अप्रार्थीगण संख्या 7 व 8 को विधिक प्रकिया द्वारा प्रश्नगत आराजी का बैचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया है जो पूर्णतया विधि सम्मत है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पूर्णतया विधिविरूद्ध है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस खारिज किए जाने योग्य है।

8. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में निर्णय होने की सूचना उसे नहीं दी गई। दिनांक 21.6.2022 को जब उसके द्वारा अपने अभिभाषक से सम्पर्क किया तो उन्होंने दिनांक 21.4.2022 को निर्णय होना जाहिर किया। इस पर उसके द्वारा दिनांक 22.6.2022 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसी दिन नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत करने की कार्यवाही की गई। सदभाविक देरी को क्षमा किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.4.2022 का है तथा अपीलांट द्वारा दिनांक 28.6.2022 को अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दी गई थी क्योंकि अपीलांट के अभिभाषक द्वारा अपीलाधीन निर्णय की उसे जानकारी नहीं दी थी, अतः जानकारी दिनांक 21.6.2022 से अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

9. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। रेस्पोडेंट द्वारा कब्जा करने की नियत से मौके पर ट्रेक्टर लेकर भूमि को काश्त करने का प्रयास किया गया जिस पर प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाया गया जिस पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

प्रार्थीगण का कब्जा मानते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी भिनाया द्वारा पारित गैर कानूनी निर्णय की आड में विपक्षीगण विवादित आराजी को अन्यत्र रहन, बय, मुंतकिल करने पर सख्त आमादा है एवं प्रार्थीगण के कब्जो को तोडने पर भी आमादा है ऐसी स्थिति में विवादित आराजी बाबत यथास्थिति रखने के आदेश प्रदान किया जाना न्यायहित में अनिवार्य है अन्यथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती साथ ही प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन अपने पक्ष में बताया व अंत में निवेदन किया कि अपील निस्तारण तक मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जाए।

10. बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने बताया कि उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय में धारा 88, 188, 209 आरटी एक्ट के तहत दावा एवं 212 आरटी एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है विवादित भूमियां ग्राम कुरथल तहसील भिनाय में स्थित है। विवादित खसरा नम्बर 2446 है जिसका रकबा 1.62 है0 है। हमारे पिता का नाम मदनलाल पुत्र लादू था इनके पिता का नाम मदनलाल पुत्र कल्याण था। गलत विरासत से भूमि इन्होंने अपने नाम करवाई इनके द्वारा भूमि भी रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8 को विक्रय की गई। उपखण्ड अधिकारी भिनाय द्वारा हमारे पक्ष में अंतरिम टीआई जारी की थी मगर बाद में हमारा 212 का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिसकी अपील यहां की है अधीनस्थ न्यायालय का आदेश नॉन स्पीकिंग है कब्जा हमारा है। सेटलमेंट ने गलत तरीके से भूमि इनके नाम की है त्रुटि सुधार हेतु हमारा दावा है अधिकार दावे में तय होंगे। न्यायालय भूमि की सुरक्षा करे उनके द्वारा आरआरटी 2017 पेज 491 बाबत कथन किए गए। साथ ही ढोली जाति को अनुसूचित जाति श्रेणी में बताया तथा रेस्पोडेंट 7 व 8 जाति से कुमावत है। धारा 42 आरटी एक्ट का उल्लंघन किया गया है। आईपीसी की धाराओं में इनके खिलाफ चालान हुआ है। यथास्थिति बनाए रखे धारा 5 हमारी है।

11. वकील रेस्पोडेंट ने बहस में बताया कि वकील अपीलांट द्वारा रिकार्ड के विपरीत जाकर बहस की गई है। लाडू को अपीलांट पक्ष का दादा बताया है जिसके दो पुत्र होना बताया मदनलाल व केसर, मदनलाल के दो पुत्र बताए श्योजी व सत्यनारायण। अपने दादा का नाम कल्याण बताया जिसके सिर्फ एक पुत्र मदन हुआ जिसके वारिस हम अपीलांट है। वकील रेस्पोडेंट के अनुसार विवादित खसरा नम्बर 2446 है जो कि मदनलाल पुत्र कल्याण की खातेदारी की थी जो कि 1972 में उन्हें आवंटित होना बताया साथ ही यह बताया की अपीलांट के खसरा नम्बर 2445 हैं। जो मदन के नाम थे। यह हमारी भूमि हेतु वाद लाए है मिलान क्षेत्रफल हेतु उनके द्वारा बताया गया जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 252(1.47) 253(0.15)से नए खसरा नम्बर 2446 से 1.62 है0 बना है। साबिक खसरा नम्बर भी मदल पुत्र कल्याण बारेठ के नाम दर्ज होना बताए है। राजस्व प्रकरणों में फौजदारी केसेज का कोई महत्व नहीं है। हमने 212 का जवाब पेश किया था। दस्तावेज जमाबंदी दिए थे, हमारे द्वारा रेस्पोडेंट 7 व 8 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से जमीन बैचान की है नामांतरकरण खुल चुका है उसके बाद यह दावा लाए है। विक्रय पत्र दिनांक 15.6.2021 का है दावा दायरी दिनांक 30.7.2021 की है आज रेस्पोडेंट 7 व 8 खातेदार है इनकी गोत्र अलग है। हम सोनगरा जाति बारेठ है। इनकी धुकरवाल

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

जाति है हमारे संबंध नहीं है। इनके द्वारा कोई खसरा गिरदावरी पेश नहीं कि गई है वकील रेस्पोडेंट के द्वारा आरआरडी 1984 पेज 492 बाबत कथन किए जिसके अनुसार अपीलांट के विरूद्ध टीआई नहीं दी जा सकती इन्होने धारा 42 का उल्लंघन बताया जबकि हम बारेठ ओबीसी जाति में आते है। एसडीओं हिंडौली द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया इनका अलॉटमेंट खसरा नम्बर 2445 में है। यह अलग खसरा नम्बर है। आरबीजे 2018 पेज 499, 530 का उन्होंने उल्लेख किया।

12. रिबूटल में वकील अपीलांट ने बताया कि इनके द्वारा ग्राम पंचायत का कोई सजरा प्रसतुत किया है ना ही कोई उत्ताधिकार प्रमाण पत्र इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। टीआई के प्रार्थना पत्र में तीन घटक देखे जाते हैं। अन्य गांव में रहते है। एसडीओं में इनके जवाब का हवाला नहीं दिया है। प्रमाण पत्र जनरल जाति का जारी हुआ है। पारिवारिक मसले में टीआई खातेदार के विरूद्ध दी जा सकती है।

13. बहस बिंदुओं पर मनन किया गया। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन व मनन किया गया। भूप्रबंध विभाग के ग्राम कुरथल के पर्चा लगान के अनुसार मदनलाल पिता कल्याणमल कौम बारेठ साकिनदेय खातेदार के नाम खसरा नम्बर 2446 खातेदारी में रकबा 1.62 बारानी–3, अंकित होना पाया जाता है। जो कि पुराने खसरा नम्बर 252 व 253 से बनना बताया है। खसरा नम्बर 2446 के खातेदार का नाम खाते की पासबुक में मदनलाल पुत्र कल्याणमल बारेठ बताया गया है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी ग्राम कुरथल संवत 2072– 2075 खाता संख्या नया 394 में रेस्पोडेंट 1 से 6 की जाति बारेठ अंकित दर्ज की गई है। तथा उनकी सहखातेदारी में विवादित खसरा नम्बर 2446 रकबा 1.62 है0 दर्ज है। मदनलाल की विरासत नामांतरकरण संख्या 1437 दिनांक 5.8.2019 से वर्तमान रेस्पोडेट 1 से 6 के पक्ष में दर्ज की गई है। बेचाननामा दिनांक 14.6.2021 जो कि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 के द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 7 के पक्ष में किया गया है। उसके पक्ष में विवादित भूमि में से 98/162 वां हिस्सा विक्रय किया गया है। उसमें भी रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 की जाति बारेठ अंकित हैं। अन्य विक्रय पत्र दिनांक 14.6.2021 के द्वारा रेस्पोडेंट 8 के पक्ष में विवादित खसरा नम्बर में अपना हिस्सा अपने हिस्से में से 64/162 वां हिस्सा बेचान किया है जिसमें भी रेस्पोडेंट 1 से 6 की जाति बारेठ अंकित है। राजस्व रिकार्ड ग्राम कुरथन जमाबंदी 2072–2075 खाता संख्या नया 364 में अपीलांट श्योजी और सत्यनारायण की जाति बारेठ दर्ज की गई है। स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट की जाति राजस्व रिकार्ड (पर्चा लगान एवं जमाबंदी में बारेठ अंकित है ना कि ढोली) इस स्टेज पर यही माना जाएगा रेस्पोडेंट 1 से 6 की जाति बारेठ है। नोटिफिकेशन नम्बर एफबी./1/एस डब्ल्यू/65/66/72–605–23 दिनांक 21.7.1965–सोशल वेलफेयर विभाग अजमेर क्षेत्र की अनुसूचित जातियों की सूची का अवलोकन किया गया उक्त सूची में बारेठ जाति का नाम नहीं है।

14. आईपीसी में दर्ज प्रकरण जिसके द्वारा चालान रेस्पोडेंट 1 से 6 के विरूद्ध पेश करना बताया गया है इस बाबत न्यायालय हाजा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेगा। अपीलांट अपने कब्जे बाबत राजस्व रिकार्ड यथा गिरदावरी राजस्व कार्मिकों द्वारा तैयार कोई मौका कमिशनर रिपोर्ट आदि प्रस्तुत कर अपने कब्जे बाबत बात की पुष्टि करवा सकता था मगर उसके द्वारा ऐसा नहीं किया गया एडवर्स

25.1.2022
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

पजेशन के आधार पर नए न्यायिक दृष्टांतों के अनुसार अब किसी को भी कोई लाभ नहीं दिया जा सकता। राजस्व प्रकरणों में कब्जे बाबत गिरदावरी को ही देखा जाता हैं, साथ ही जमाबंदी में दर्ज खातेदार व सहखातेदार का ही कब्जा माना जाता है। जमाबंदी ग्राम कुरथल खाता संख्या 394 नया के मुताबिक विवादित भूमि खसरा नम्बर 2446 हेतु रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 खातेदार काश्तकार होने से विवादित भूमि पर अपीलांट का कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण बनना नहीं पाया जाता है। स्थगन आदेश के अभाव में उसे कोई अपूर्णीय क्षति नहीं हो सकती क्योंकि वह विवादित भूमियों का खातेदार नहीं है ना ही स्थगन आदेश के अभाव में उसे विशद अनिष्ट होने की कोई संभावना है। रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण पर पूरी तरह से चस्पा होते है। रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है (आरबीजे 2018 पेज 499), आरबीजे 2018 पेज 504 और आरआरडी 1984 पेज 492 खातेदार को टीआई के माध्यम से रोका नहीं जा सकता है। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आरआरटी 2017 पेज 491 वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होती है। चूंकि रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट को अपना पारिवारिक सदस्य नहीं बताया तथा यह बताया है कि दोनों पक्षों की उपजातियां ही अलग–अलग हैं।

15. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य हैं। उसके द्वारा प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिंदु अपने पक्ष में सिद्ध नहीं किया गया हैं।

16. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 25/2021 में पारित आदेश दिनांक 21.04.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

25.1.2024

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

17. निर्णय आज दिनांक 25.01.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

25.1.2024

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर